



कार्यालय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 1496/जीएमपी/जीएच/10-11

मै. सैंक फोर्ट डवलपर्स प्रा.लि.

एवं मै. जी.एस.ए. एन्टरप्राइजेस प्रा.लि. द्वारा श्री अरूण कुमार अग्रवाल

106, सासको भवन, आजादपुर काम्पलेक्स,

आजादपुर, दिल्ली।

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु
विभिन्न स्तरों पर फिनिशिंग दीवारों के अपर
आर0सी0सी0 टाई बीम डालना उचित / आवश्यक
है। जो 100मी0सी0 लेयर सिस्टम व प्रत्येक छत
के नीचे डाले जाये।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.11 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र खसरा संख्या 1174 एवं 1177 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:

- 1- यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
- 3- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- 4- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 5- जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन या किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
- 6- दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क पर न खुले।
- 7- बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अंदर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 8- सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- 9- स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
- 10- यह मानचित्र 300 ग्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
- 11- सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
- 12- सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन का नियम / शर्तों का पालन करना होगा।
- 13- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 20.11.2010 का पालन करना होगा।
- 14- पर्यावरण की दृष्टि से 300 ग्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।
- 15- स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिखे भवन को प्रयोग में न लायें।
- 16- 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
- 17- 12.00 मी0 से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित नगर निगम/जिलाधिकारी से अनुमति /स्वामित्व प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा जिलाधिकारी/नगर निगम से अनुमति एवं स्वामित्व प्राप्त होने तक इस भूमि पर कोई निर्माण / विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
- 18- संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 19- भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ण प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
- 20- संदर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
- 21- 15% आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
- 22- निर्धारित 45 मीटर महायोजना मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण / विकास कार्य किया जायेगा।
- 23- वाल का निर्माण रोड वाइडिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
- 24- भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/ विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित करार कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 25- आन्तरिक विकास कार्य हेतु बैंक गारण्टी के स्थान पर प्रस्तुत पंजीकृत सिविलीटी बॉण्ड में रखे गये बन्धक फ्लैटों का विक्रय आन्तरिक विकास कार्यों के पूर्व नहीं किया जायेगा तथा सिविलीटी बॉण्ड की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- 26- नाली, चकरोड, ग्राम समाज व नगर निगम / सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/ विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
- 27- रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु प्रस्तुत रुपये 2,00,000/- की एफ.डी.आर. की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व स्वयं बड़वाकर प्रस्तुत करनी होगी।
- 28- अतिरिक्त शर्तें स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न हैं जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

पत्रांक : एमपी/

दिनांक

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
गा0वि0प्राधिकरण, गाजियाबाद

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक